

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024

क्रमांक/280/मु.न्या.मजि./2024

नर्मदापुरम, दिनांक :- 27/06/2024

मैं श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम सिविल जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2024 आदेश क्रमांक 169/न्यायालय/2024 नर्मदापुरम, दिनांक04.2024 में द.प्र.सं. की धारा- 14 (1) एवं 15 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मूल आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2024 आदेश क्रमांक 169/न्यायालय/2024 नर्मदापुरम, दिनांक04.2024 के सरल क्रमांक 07 में नवीन कंडिका क्रमांक 4 निम्नानुसार संशोधन कर, जोड़ती हूँ, जो कि दिनांक 27/06/2024 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र	कार्य, जो संबंधित न्यायालय की अधिकारिता में है, न्यायालय द्वारा उनके नाम के स्तम्भ क्र. 3 में वर्णित क्षेत्र के संबंध में किये जावेंगे।
01.	02.	03.	04.
07.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्री सूर्यपाल सिंह राठौर	<p>1. आरक्षी केंद्र इटारसी, वन विभाग से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2. इटारसी क्षेत्राधिकार के आबकारी से उत्पन्न समस्त प्रकरण।</p> <p>3. आरक्षी केंद्र जी.आर.पी. इटारसी से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>	<p>1. आरक्षी केंद्र जी.आर.पी., आरक्षी केंद्र इटारसी से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन (<u>महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर</u>) का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य।</p> <p>2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे।</p> <p>3. Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन</p>

				अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 (न्यून मात्रा)एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य।
--	--	--	--	---



श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम


कार्यालय / न्यायालय :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नर्मदापुरम (म.प्र.)
पीठासीन-श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया

क्रमांक/पृ.क्र./2024

नर्मदापुरम, दिनांक 27.06.2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एस.सी./एस.टी. एक्ट/एन.डी.पी.एस. एक्ट नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला अभियोजन अधिकारी/ए.पी.पी.
नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारी जिला एवं तहसील की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. खाद्य निरीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09. नापतौल निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. औषधि निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. जिला लोक अभियोजक अधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला परिवहन अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम